

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

माह-अप्रैल, 2017 तक।

क्र० सं०	काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तो का नाम एवं पदनाम
1	2	3	3
1.	भ्र०नि० ब्यूरो धनबाद थाना कांड सं०-07/17, दिनांक-09.02.2017 धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधि०-1988	गृह विभाग। ट्रैप केस। 5,000/-	श्री रामश्रृंगार सिंह, पिता-स्व० बालदेव सिंह, ग्राम-अलीपुर हाबराहा, पो०+थाना-महनार, जिला-वैशाली (बिहार) वर्तमान स०अ०नि० गाण्डेय थाना, जिला-गिरिडीहा। आरोप पत्र सं०-13/17 दिनांक-03.04.17 धनबाद।
2.	निगरानी थाना कांड सं०-41/13, दिनांक-02.11.13 धारा-420/465/467/468/471/ 477ए/406/409/120बी भा०द०वि० एवं धारा-13(2) सह पठित धारा-13(1)(सी) (डी) भ्र०नि० अधि०-1988	सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के अन्तर्गत अपने पद का भ्रष्ट दुरुपयोग करते हुए फसल बीमा राशि का भुगतान करने, गोन्दलपुरा पैक्स चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता बरतने, सरकारी राशि का दुर्विनियोग एवं गबन करते हुए सरकार को दोषपूर्ण आर्थिक हानि पहुँचाने के कारण कांड दर्ज किया गया है।	1. उमेश कुमार यादव, पूर्व अध्यक्ष, गोन्दलपुरा पैक्स ग्राम- गोन्दलपुरा, थाना- बड़कागाँव, जिला- हजारीबाग। 2. गोपाल कृष्ण कुँवर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी- सह-अचलाधिकारी, बड़कागाँव। 3. योगेन्द्र पोद्दार, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बड़कागाँव। 4. रविशंकर पाण्डेय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, हजारीबाग। 5. उमेश कुमार सिंह, शाखा प्रबंधक सहकारिता बैंक, बड़कागाँव शाखा, जिला- हजारीबाग। क्रमांक-01 पर आरोप पत्र सं०-62/16 दिनांक-26.08.16 समर्पित। क्रमांक-02,03,04 के विरुद्ध आरोप पत्र सं०-12/17 दिनांक-06.04.17 एवं क्रमांक-05 के विरुद्ध साक्ष्य की कमी समर्पित की गई है।
3.	भ्र०नि० ब्यूरो हजारीबाग थाना कांड सं०-04/17, दिनांक-13.02.2017 धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधि०-1988	विकास विभाग। ट्रैप केस। 10,000/-	श्री रूपेश कुमार सिंह, पिता-सियाराम सिंह, ग्राम-तिलरा, थाना+प्रखंड- मयूरहंड, पंचायत-मझगाँव, जिला-चतरा, वर्तमान-रोजगार सेवक सोकी एवं हुसिया पंचायत प्रखंड-मयूरहंड, जिला-चतरा। आरोप पत्र सं०-08/17 दिनांक-11.04.17 हजारीबाग।
4.	निग० था० का० सं० 20/09 दि० 29.10.09 धारा 402/406/408/409/120(बी) भा०द०वि० एवं 12/13(2)सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्र०नि०अधि० 1988 (विशेष केस नं०-25/09)	नगर विकास विभाग। आर०आर०डी०ए० में नक्शा घोटाला। (मार्च 2000-09) पी०ई० 04/09 के जाँचोपरान्त यह काण्ड दर्ज किया गया है। नगर विकास विभाग, राँची।	1. श्री दीप नारायण शर्मा, पिता-स्व० जगदीश शर्मा, सा०-फ्लैट नं०-4ए पारस एर्पाटमेंट, अरगोड़ा, पुनदाग रोड़, थाना-अरगोड़ा, जिला-राँची वर्तमान सेवानिवृत्त कनीय अभियंता। 2. नरेन्द्र कुमार बुटाला, पिता-स्व० मणिलाल बुटाला, सा०-503 वल्लभ सदन, पीस रोड़, थाना-लालपुर, जिला-राँची बिल्डर, लालपुर, राँची। 3. भवेश बुटाला, पिता-स्व० मणिलाल बुटाला, सा०-विष्णु गली, मेन रोड़ थाना-कोतवाली, जिला-राँची, बिल्डर बिष्णु गली मेन रोड़ राँची। 4. अप्राथमिकी अभियुक्त- मो० हेमजा, पिता-अब्दुल मनान, सा०-सेन्ट्रल स्ट्रीट, हिंदपीढी, थाना-हिन्दपीढी, जिला-राँची। कनीय अभियंता आर०आर०डी० ए०, राँची। आरोप पत्र सं०-13/17 दिनांक-13.04.17
5.	भ्र०नि० ब्यूरो, विशेष कोषांग, राँची थाना कांड सं०-08/17, दिनांक-22.02.2017 धारा-7/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ्र०नि० अधि०-1988	पुलिस विभाग। ट्रैप केस। 1500/-	श्री सेबेयान सुरीन, पिता-स्व० प्रेम उदय सुरीन, सा०-जामटोली, थाना-बानो, जिला-सिमडेगा, वर्तमान स०अ०नि० कुडू थाना, जिला-लोहरदगा। आरोप पत्र सं०-14/17 दिनांक-17.04.17
6.	भ्र०नि० ब्यूरो, जमशेदपुर थाना कांड सं०-05/17, दिनांक-21.02.2017 धारा-7/13(2) भ्र०नि० अधि०-1988	राजस्व विभाग। ट्रैप केस 12,000/-	1. प्राथमिकी अभियुक्त दीनबंधु खाटुआ, उम्र-43 वर्ष, पिता-स्व० बेनी खाटुआ, सा०-केवला, थाना+पो०-बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम, वर्तमान मुखिया (जनप्रतिनिधि) पाटपुर पंचायत बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम।

			2. श्री सोनाराम मूर्मू उम्र-52 वर्ष पिता-रूपाई मूर्मू सा0+पो0-बाहरबेड़ा, थाना-चांडिल, जिला-सरायकेला, वर्तमान पता- बहरागोड़ा प्रखंड थाना-बहरागोड़ा, पंचायत सेवक, पाटपुर पंचायत बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0-07/17 दिनांक-20.04.17 जमशेदपुर।
7.	भ0नि0 ब्यूरो, हजारीबाग थाना कांड सं0-13/17, दिनांक-27.02.2017 धारा-7/13(2) भ0नि0 अधि0-1988	कार्मिक विभाग। ट्रैप केस 10,000/-	श्री दिलीप कुमार सरकार (उम्र-54 वर्ष, पिता-स्व0 कामनी कुमार सरकार, सा0-कुम्हारटोली सरस्वती विद्या मन्दिर के पास नाला पार हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, वर्तमान अंचल निरीक्षक, सदर अंचल, जिला-चतरा। आरोप पत्र सं0-15/17 दिनांक-26.04.17 हजारीबाग।

नोट:- अपराध शाखा में दिनांक-30.04.17 तक प्राप्त आरोप पत्रों के अनुसार माह अप्रैल, 2017 में आरोप पत्रित कांडों की सूची उपर अंकित है। परन्तु यह भी सम्भव है कि माह अप्रैल में कुछ और कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया हो परन्तु अभी तक अपराध शाखा में आरोप पत्र अनु0कर्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो। अतः इस संबंध में निगरानी थाना, राँची से स्पष्ट स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।